

08.08.2024:—पत्रावली पेशी मे ली गइ। उभयपक्ष उपस्थित।  
पत्रावली का अवलोकन किया। बाद अवलोकन  
पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य/सबूत एव अधिवक्ता  
की बहस को मध्यनजर रखते हुए। बाद पत्र  
विभाजन प्रस्ताव अनुसार डिक्री किया जाकर खुले  
न्यायालय मे सुनाये जाने के उपरान्त शामिल  
पत्रावली किया गया। डिक्री कि पालना मे  
तहसीलदार हनुमानगढ को पत्र जारी किया जाकर  
कर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली नम्बर से  
कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफतर  
हो।

*Devi's*

तहसीलदार कलक्टर

एव उपखण्डाधिकारी

हनुमानगढ

